

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,
नगर पंचायत, नगराम, जनपद-लखनऊ /
नगर पंचायत, कसया, एवं सेवरही, जनपद-कुशीनगर /
नगर पंचायत, सरायअकिल, जनपद-कौशाम्बी।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 'नया सवेरा नगर विकास योजना' से ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-आरएफ.166/नौ-9-14-13आरएफ/14, दिनांक 24 फरवरी, 2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में कुल 31 नगर पंचायतों को अवस्थापना सम्बन्धी विकास हेतु कुल रू0 13,54,50,000/-की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 6,77,25,000/- अवमुक्त की गयी। उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत 50 प्रतिशत की धनराशि का उपयोग करते हुये निम्न निकायों ने चालू कार्यों हेतु अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया है, जिसके दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश आरएफ. 166/नौ-9-14-13 आरएफ/14, दिनांक 24 फरवरी, 2014 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न 04 निकायों के सम्मुख अंकित अवशेष धनराशि कुल रू0 95,00,000/- (रूपये पच्चावबे लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क	जनपद	नागर निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	शासनादेश दिनांक 24.02.14 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि की स्वीकृति (4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	लखनऊ	नगर पंचायत, नगराम	50.00	25.00	25.00
2	कुशीनगर	नगर पंचायत, कसया	70.00	35.00	35.00
3.	कुशीनगर	नगर पंचायत, सेवरही	30.00	15.00	15.00
4	कौशाम्बी	नगर पंचायत, सरायअकिल	40.00	20.00	20.00
		योग	190.00.	95.00	95.00

(रूपये पच्चावबे लाख मात्र)


(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्यय अनुदान की संख्या-37 के लेखाशीर्षक-“6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज- आयोजनागत- 02-मल-जल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-नया सवेरा नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण” के नामे डाला जायेगा ।

(2) सम्बन्धित निकाय द्वारा चालू कार्य हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) शासनादेश आरएफ. 166/नौ-9-14-13आरएफ/14, दिनांक 24 फरवरी, 2014 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,



(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव


संख्या-आरएफ. 940 (1)/नौ-9-2014 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
3. कोषाधिकारी, जनपद- लखनऊ/कुशीनगर/कौशाम्बी ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. संबन्धित नगर पंचायत अध्यक्ष, उ0प्र0 ।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. गार्ड फाइल ।
10. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग ।

आज्ञा से,


(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव ।


25/03/14

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष :-2013-2014

आवंटन दिनांक-25/03/2014

प्रेषण संख्या:-

RF240

आवंटन आदेश संख्या:-

001-RF240-9-9-2014-13RF-14

अनुदान संख्या:-

37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके

04 - नया सवेरा नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)


S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2500000 67684000	2500000 67684000
2	कुरुशिनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 88343000	5000000 88343000
3	कौशाम्बी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2000000 42389000	2000000 42389000
	योग	वर्तमान प्रणामी	9500000 198416000	9500000 198416000

महायोग - (वर्तमान आवंटन):-

रूपया पंचानंदे लाख

महायोग - (प्रणामी आवंटन):-

रूपया उनीस करोड चौरासी लाख सोलह हजार


रूप संविद्य
उमा शंकर सिंह